केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं	CICOM/A/P/24/00149
संदर्भ संचिका सं .	CICOM/R/P/24/00507
अपीलकर्ता	श्री होशियार सिंह [redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.11.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.11.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	29.11.2024 & 20.12.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.के. चितकारा CPIO,(DR to CIC) श्री एस.अनंतरामन CPIO(DR to IC VT) & श्रीमती सुमन बाला CPIO (RTI Cell)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.12.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	27.12.2024
निर्णय की तारीख	20.01.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 16.11.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1.) संचिका संख्या CIC/DEPOL/A/2017/172472, 171856, 128419, 123749, 154380, 112339 दिनांक 27.04.2018 को निर्णय हुआ उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये।

2.) Second appeal No, CIC/CVCOM/A/2017/122200/DELJB दिनांक 31.12.2018 को निर्णय हुआ उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये।

3.) संचिका संख्या CIC/SA/A/2014/001786 दिनांक 17.06.2015 को निर्णय हुआ उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये।

4.) संचिका संख्या CIC/SA/A/2014/001886 के निर्णय हुआ उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये।

5.) संचिका संख्या CIC/DS/A/2013/002586 – YA दिनांक 04.09.2014 को निर्णय हुआ उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये।

6.) संचिका संख्या CIC/SA/A/2014/000241 दिनांक 01.12.2014 को निर्णय हुआ उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये।

7.) संचिका संख्या CIC/DS/A/2013/002662 – SA दिनांक 23.04.2014 को निर्णय हुआ उसकी सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये। -

8.) संचिका संख्या CIC/CPIO/2014/714 – H पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि दी जाये।

9.) उपरोक्त मेरे व मेरी पत्नी बच्चो के संबंध में की गई है। शिकायत कर्ता नारायण सिंह मेरा सगा छोटा भाई है इसके द्वारा जितनी भी शिकायत rti द्वारा की गई उन सभी की प्रतिलिपि दी जाये।

10.) उपरोक्त RTI शिकायत लगभग 345 जिसका नाम नारायण सिंह पता म. नं 335 मंगोल पुर कलां दिल्ली - 85 सगा छोटा भाई है जिसमे गैर कानूनी रूप में Miss use of RTI (पब्लिक इंट्रेस्ट) बता कर ली है क्या CIC इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। या और कोई कानूनी कार्यवाही किस प्रकार की जा सकती है विवरण सहित जानकारी दी जाये।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.के. चितकारा, श्री एस.अनंतरामन और श्रीमती सुमन बाला केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा पत्र दिनांकित 29.11.2024 और 20.12.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"With reference to your RTI application dated 16.11.2024 received on 28.11.2024, information on point 1 is that all the decisions of the Commission including CIC/DEPOL/A/2017/172472,CIC/DEPOL/A/2017/171856,CIC/DEPOL/A/2017/128419,CIC/DEPOL/A/2017/123749,CIC/DEPOL/A/2017/154380 and CIC/DELJB/A/2018/112339 are available in public domain at cic.gov.in. You may please download the same from the aforesaid website.

Point 2 to 7.) Since, you are not party to the cases, nor the third party has authorized you by a letter, nor disclosure of the information warranted in the large public interest, the information sought is exempted under section 8 (1) (j) of the RTI Act, 2005.

Point 8.) मूल उत्तर पहले ही अपीलकर्ता को भेजा जा चुका है, परन्तु अब संचिका संख्या CIC/CPIO/2014/714- H की मूल प्रति रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

Point 9.) मांगी गई जानकारी सकंलित रूप में नहीं राखी जा रही है।

Point 10.) आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में उल्लेखित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्नो के उत्तर/स्पष्टीकरण देना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है, विशेष जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें

जो कि आयोग की वेबसाइट के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-acthindi.pdf सहित पब्लिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

3. प्रथम अपील का आधार

"आपका पत्र नं CICOM/R/P/24/00507/2 दिनांक 29.11.2024 के जवाबी पत्र के सन्दर्भ में मेरी अपील पर सुनवाई की जाये।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00507/2 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 20.01.2025

C. I. C. /के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
2 1 JAN 2025
D. No.........
Initials.........

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

21/1/25

O/C